

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2020—कार्तिक 28, शक 1942

#### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधिसूचना क्र. 419-एफ-1-63-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, जतारा जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 क्रमांक 33 दिनांक 14 अगस्त 2020 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 101 को निरस्त करते हुए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 06, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, रानीदुर्गावती वार्ड (3) वार्ड क्र0 03 इंदिरा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 08, चंद्रशेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 01, मदन सागर वार्ड (4) वार्ड क्र0 15, नरसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 06, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, रानीदुर्गावती वार्ड

5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र० 08, चंद्रशेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र० 15, नरसिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र० 05, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र० 11, लोकमान्य तिलक वार्ड (3) वार्ड क्र० 12, निजाम वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-63-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 419 एफ-1-63-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

Revised Notification

Noti. No. 419-F 1-63-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and women) rules, 1994, the State Government, hereby, after cancelling the notification no. 101 published in Madhya Pradesh Gazette Part-1 No. 33 dated 14 August 2020 notifies the Reservation of wards in Nagar Parished Jatara District Tikamgarh as under:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 06, Ambedkar ward (2) Ward No. 02, Rani Durgawati ward (3) Ward No. 03 Indira ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 08, Chandrashekhar Azad ward (2) Ward No. 09, Shivaji ward (3) Ward No. 01, Madan Sagar ward (4) Ward No. 15, Narsingh ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 06, Ambedkar ward (2) Ward No. 02, Rani Durgawati ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 08, Chandrashekhar Azad ward (2) Ward No. 15, Narsingh ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4.5 & 6) (Women)	03	(1) Ward No. 05, Subhash ward (2) Ward No. 11, Lok Manya Tilak ward (3) Ward No. 12, Nizam ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

संशोधित अधिसूचना

अधिसूचना क्र. 420-एफ-1-69-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, पलेरा जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 क्रमांक 33 दिनांक 14 अगस्त 2020 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 101 को निरस्त करते हुए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 15, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 08, अम्बेडकर वार्ड (4) वार्ड क्र0 12, मौलाना आजाद वार्ड (5) वार्ड क्र0 13 देवी शीतला वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 03, पठेश्वरी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 01, विवेकानंद वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, राणी लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्र0 04, भगत सिंह वार्ड (4) वार्ड क्र0 11, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 15, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 08, अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 01, विवेकानंद वार्ड (2) वार्ड क्र0 11, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 05, केदारेश्वर वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, इंदिरा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-69-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 420 एफ-1-69-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

## Revised Notification

Noti. No. 420-F 1-69-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and women) rules, 1994, the State Government, hereby, after cancelling the notification No. 103, published in Madhya Pradesh Gazette Part-1 No. 33 dated 14 August 2020 notifies the reservation of wards in Nagar Parishad Palera, District Tikamgarh as under:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	05	(1) Ward No. 15. Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 14, Shivaji ward (3) Ward No. 08, Ambedkar ward (4) Ward No. 12, Molana Azad ward (5) Ward No. 13 Devi Sheetalala ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 03. Patheshwari ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 01, Vivekanand ward (2) Ward No. 07. Rani Laxmi Bai ward (3) Ward No. 04. Bhagat Singh ward (4) Ward No. 11. Lal Bahadur Shastri ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	03	(1) Ward No. 15, Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 14. Shivaji ward (3) Ward No. 08. Ambedkar ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 01. Vivekanand ward (2) Ward No. 11, Lal Bahadur Shastri ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	02	(1) Ward No. 05. Kedareswar ward (2) Ward No. 09, Indira Gandhi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधि. क्र. 421-एफ-1-69-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, लिधौराखास, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 क्रमांक 33 दिनांक 14 अगस्त 2020 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 106 को निरस्त करते हुए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 10, रैदास वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (3) वार्ड क्र0 04, आजाद वार्ड (4) वार्ड क्र0 14, श्यामलाल माते वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 09, राजीव गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, श्रृंगिकृषि वार्ड (3) वार्ड क्र0 03, सुभाष वार्ड (4) वार्ड क्र0 07, रूकमणि वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 10, रैदास वार्ड (2) वार्ड क्र0 04, आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 06, श्रृंगिकृषि वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, राजीव गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 05, प्रियदर्शनी वार्ड (2) वार्ड क्र0 13, विवेकानंद वार्ड (3) वार्ड क्र0 15, महात्मा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजीव निगम, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-70-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 421 एफ-1-70-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजीव निगम, उपसचिव.**

Bhopal, the 19th November 2020

## Revised Notification

Noti. No. 421-F 1-70-2020-XVIII-3.—In exercise of the power conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and women) rules, 1994, the State Government, hereby, after cancelling the notification No. 103, published in Madhya Pradesh Gazette Part-1 No. 33 dated 14 August 2020 notifies the reservation of wards in Nagar Parishad Lidhorakhas, District Tikamgarh as under:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No. 10, Raidas ward (2) Ward No. 02, Dr. Ambedkar ward (3) Ward No. 04, Azad Ward (4) Ward No. 14, Shyamalal Mate ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 09, Rajeev Gandhi ward (2) Ward No. 06, Shiringirishi ward (3) Ward No. 03, Subhash ward (4) Ward No. 07, Rukmani ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 10, Raidas ward (2) Ward No. 04, Azad ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 06, Shiringirishi ward (2) Ward No. 09, Rajeev Gandhi ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	03	(1) Ward No. 05, Priyadarshni ward (2) Ward No. 13, Vivekanand ward (3) Ward No. 15, Mahatma Gandhi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधि. क्र. 422-एफ-1-75-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, कारी, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 क्रमांक 33 दिनांक 14 अगस्त 2020 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 104 को निरस्त करते हुए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 07, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 03, भगत सिंह वार्ड (3) वार्ड क्र0 14, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 08, बाल्मीकी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 01, नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र0 13, वियोगी वार्ड (3) वार्ड क्र0 15, इंदिरा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 06, महात्मा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 07, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 14, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 01, नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र0 13, वियोगी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 11, रामराजा वार्ड (2) वार्ड क्र0 04, चंद्र शेखर आजाद वार्ड (3) वार्ड क्र0 02, सुभाष वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-75-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 422 एफ-1-75-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

Revised Notification

Noti. No. 422-F 1-75-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and women) rules, 1994, the State Government, hereby, after cancelling the notification No. 104, published in Madhya Pradesh Gazette Part-1 No. 33 dated 14 August 2020 notifies the reservation of wards in Nagar Parishad Kari, District Tikamgarh as under:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 07, Dr.Ambedkar ward (2) Ward No. 03, Bhagat Singh ward (3) Ward No. 14, Lal Bahadur Shashtri ward

2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 08, Balmiki ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 01, Nehru ward (2) Ward No. 13, Viyogi ward (3) Ward No. 15, Indira Gandhi ward (4) Ward No. 06, Mahatma Gandhi ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 07, Dr. Ambedkar ward (2) Ward No. 14, Lal Bahadur Shashtri ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 01, Nehru ward (2) Ward No. 13, Viyogi ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	03	(1) Ward No. 11, Ramraja ward (2) Ward No. 04, Chandra Shekar ward (3) Ward No. 02, Subhash ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधि. क्र. 423-एफ-1-88-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बड़गांव (धसान), जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 क्रमांक 373, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 220, को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आरक्षित वार्डों की सूची प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 10, इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, महात्मा गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र0 07, सुभाष चंद्र बोस वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 05, अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 14, चन्द्र शेखर वार्ड (2) वार्ड क्र0 11, लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्र0 12, भगत सिंह वार्ड (4) वार्ड क्र0 13, संजय गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 10, इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, सुभाष चंद्र बोस वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 12, भगत सिंह वार्ड (2) वार्ड क्र0 13, संजय गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 04, विवेकानंद वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, जवाहर लाल नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र0 01, अमृतलाल फणीन्द्र वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.



भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-88-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 423 एफ-1-88-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

Revised Notification

Noti. No. 423-F 1-75-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and women) rules, 1994, the State Government, hereby, after cancelling the notification No. 220, published in Madhya Pradesh Gazette Extra Ordinarī No. 373, dated 1 October 2020 notifies the reservation of wards in Nagar Parishad Badagaon (Dhasan), District Tikamgarh as under:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 10, Indira Gandhi ward (2) Ward No. 09, Mahatma Gandhi ward (3) Ward No. 07, Subhash Chand Bose ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 05, Ambedkar ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 14, Chandra Shekhar ward (2) Ward No. 11, Laxmi Bai ward (3) Ward No. 12, Bhagat Singh ward (4) Ward No. 13, Sanjay Gandhi ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 10, Indira Gandhi ward (2) Ward No. 07, Subhash Chand Bose ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 12, Bhagat Singh ward (2) Ward No. 13, Sanjay Gandhi ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	03	(1) Ward No. 04, Vivekanand ward (2) Ward No. 02, Jawahar Lal Nehru ward (3) Ward No. 01, Amrit Lal Phadindra ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधि. क्र. 424-एफ-1-89-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-373, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 221, को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आरक्षित वार्डों की सूची प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 07, सरदार सिंह वार्ड (2) वार्ड क्र0 01, विंध्यवासिनी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 12, इंदिरा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 08, प्रेम नगर वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, मौलाना आजाद वार्ड (3) वार्ड क्र0 10, हनुमान वार्ड (4) वार्ड क्र0 11, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 01, विंध्यवासिनी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 05, मौलाना आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र0 11, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 02, जवाहर लाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र0 15, सुदर्शन वार्ड (3) वार्ड क्र0 03, गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 06, डॉ. अम्बेडकर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-89-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 424 एफ-1-89-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

## Revised Notification

Noti. No. 424-F 1-89-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and women) rules, 1994, the State Government, hereby, after cancelling the notification No. 221, published in Madhya Pradesh Gazette Extra Ordari No. 373, dated 1 October 2020 notifies the reservation of wards in Nagar Parishad Baldevgarh, District Tikamgarh as under:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 07, Sardar Singh ward (2) Ward No. 01, Vindhwasini ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 12, Indira Gandhi ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 08, Prem Nagar ward (2) Ward No. 05, Molana Azad ward (3) Ward No. 10, Hanuman ward (4) Ward No. 11, Lal Bahadur Shastri ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 01, Vindhwasini ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 05, Molana Azad ward (2) Ward No. 11, Lal Bahadur Shastri ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 02, Jawahar Lal Nehru ward (2) Ward No. 15, Sudarshan ward (3) Ward No. 03, Gandhi ward (4) Ward No. 06, Dr. Ambedkar ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

## संशोधित अधिसूचना

अधि. क्र. 425-एफ-1-121-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-373, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 222, को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आरक्षित वार्डों की सूची प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 12, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, कबीर वार्ड (3) वार्ड क्र0 06, जवाहर वार्ड (4) वार्ड क्र0 01, गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 02, राजीव वार्ड (2) वार्ड क्र0 04, मुहम्मद वार्ड (3) वार्ड क्र0 14, प्रताप वार्ड (4) वार्ड क्र0 08, इंदिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 07, कबीर वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, जवाहर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 04, मुहम्मद वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 05, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र0 13, देसाई वार्ड (3) वार्ड क्र0 03, फिरोज वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-121-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 425 एफ-1-121-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

Revised Notification

Noti. No. 425-F 1-121-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and women) rules, 1994, the State Government, hereby, after cancelling the notification No. 222, published in Madhya Pradesh Gazette Extra Ordinarī No. 373, dated 1 October 2020 notifies the reservation of wards in Nagar Parishad Khargapur, District Tikamgarh as under:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No. 12, Ambedkar ward (2) Ward No. 07, Kabir ward (3) Ward No. 06, Jawahar ward (4) Ward No. 01, Gandhi ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 02, Rajeev ward (2) Ward No. 04, Mohammad ward (3) Ward No. 14, Pratap ward (4) Ward No. 08, Indira Gandhi ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 07, Kabir ward (2) Ward No. 06, Jawahar ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 04, Mohammad ward (2) Ward No. 08, Indira Gandhi ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	03	(1) Ward No. 05, Shubhash ward (2) Ward No. 13, Deshai ward (3) Ward No. 03, Firoz ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधि. क्र. 426-एफ-1-302-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद् टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 13, कूरेमाते राम आसरे वार्ड (2) वार्ड क्र0 11, बाल्मीकी वार्ड (3) वार्ड क्र0 26, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (4) वार्ड क्र0 05, शंभूदयाल दीक्षित वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	07	(1) वार्ड क्र0 07, धनुषधारी वार्ड (2) वार्ड क्र0 03, सरदार सिंह वार्ड (3) वार्ड क्र0 01, शहीद नारायणदास खरे वार्ड (4) वार्ड क्र0 02, पुरानी टेहरी वार्ड

			(5) वार्ड क्र0 10, ठाकुर दास वार्ड (6) वार्ड क्र0 12, अम्बेडकर वार्ड (7) वार्ड क्र0 24, मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 26, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, शंभूदयाल दीक्षित वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 10, ठाकुर दास वार्ड (2) वार्ड क्र0 03, सरदार सिंह वार्ड (3) वार्ड क्र0 02, पुरानी टेहरी वार्ड (4) वार्ड क्र0 12, अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	07	(1) वार्ड क्र0 06, हरीदास वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र0 04, चतुर्भुज वार्ड (4) वार्ड क्र0 27, चंद्रशेखर वार्ड (5) वार्ड क्र0 14, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (6) वार्ड क्र0 16, भगवान महावीर स्वामी वार्ड (7) वार्ड क्र0 23, नूरमुहम्मद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-302-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 426 एफ-1-302-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

Revised Notification

Noti. No. 426-F 1-302-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Caste and Women) of Rules, 1994, the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad District Tikamgarh Published as Follows:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No. 13, Kuremate Ramasre Ward (2) Ward No. 11, Balmiki Ward (3) Ward No. 26, Dr. Rajendra Prasad Ward (4) Ward No. 05, Shambhu Dayal Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	07	(1) Ward No. 07, Dhanushdhari Ward (2) Ward No. 03, Sardar Singh Ward (3) Ward No. 01, Shaheed Narayan Das Khare Ward (4) Ward No. 02, Purani Tehri Ward (5) Ward No. 10, Thakurdas Ward (6) Ward No. 12, Ambedkar Ward (7) Ward No. 24, Maulana Abdul Kalam Ajad Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 26, Dr. Rajendra Prasad Ward (2) Ward No. 05, Shambhu Dayal Dikshiti Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	04	(1) Ward No. 10, Thakurdas Ward (2) Ward No. 03, Sardar Singh Ward (3) Ward No. 02, Purani Tehri Ward (4) Ward No. 12, Ambedkar Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	07	(1) Ward No. 06, Haridas Ward (2) Ward No. 08, Gandhi Ward (3) Ward No. 04, Chaturbhuj Ward (4) Ward No. 27, Chandra Shekhar Ward (5) Ward No. 14, Lalbahdur Shastri Ward (6) Ward No. 16, Bhagwan Mahaveer Swami Ward (7) Ward No. 23, Noor Muhammad Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधि. क्र. 427-एफ-1-397-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् बकहो, जिला शहडोल के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 03, डॉ. भीमराव अम्बेडकर
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 02, बिरसामुण्डा वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, विवेकानन्द वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 06, जवाहरलाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, सरदार पटेल वार्ड (3) वार्ड क्र0 12, चन्द्रशेखर वार्ड (4) वार्ड क्र0 14, राजीव गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 05, विवेकानन्द वार्ड

6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र० 09, सरदार पटेल वार्ड (2) वार्ड क्र० 14, राजीव गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र० 01, अब्दुल कलाम वार्ड (2) वार्ड क्र० 04, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (3) वार्ड क्र० 11, राममनोहर लोहिया वार्ड (4) वार्ड क्र० 15, इंदिरा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजीव निगम, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1-397-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 427-एफ-1-427-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजीव निगम, उपसचिव.**

Bhopal, the 19th November 2020

Notification

Noti. No. 427-F 1-397-2020-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Caste and Women) of Rules, 1994, the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad Bakho, District Tikamgarh Published as Follows:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 03, Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No. 02, Birshamunda Ward (2) Ward No. 05, Vivekanand Ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 06, Jawaharlal Nehru Ward (2) Ward No. 09, Sardar Patel Ward (3) Ward No. 12, Chandrashekhar Ward (4) Ward No. 14, Rajiv Gandhi Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No. 05, Vivekanand Ward
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 09, Sardar Patel Ward (2) Ward No. 14, Rajiv Gandhi Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 01, Abdul Kalam Ward (2) Ward No. 04, Lal Bahadur Shastri Ward (3) Ward No. 11, RamManohar Lohiya Ward (4) Ward No. 15, Indira Gandhi Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**RAJIV NIGAM, Dy. Secy.**



भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधि. क्र. 428-एफ-1-398-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद् सिराली, जिला हरदा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 14, अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 11, सुभाष चंद्र बोस वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 01, श्रीराम वार्ड (2) वार्ड क्र0 12, हनुमान वार्ड (3) वार्ड क्र0 09, मां सरस्वती वार्ड (4) वार्ड क्र0 08, स्वामी विवेकानंद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 12, हनुमान वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, मां सरस्वती वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र0 06, साईनाथ वार्ड (2) वार्ड क्र0 15, महाराणा प्रताप वार्ड (3) वार्ड क्र0 03 इंदिरा गांधी वार्ड वार्ड (4) वार्ड क्र0 10, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (5) वार्ड क्र0 05, डॉ. अब्दुल कलाम वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1-398-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 428-एफ-1-398-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

## Notification

Noti. No. 428-F 1-398-2020-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred under Rule 7 of Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Caste and Women) of Rules, 1994, the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad Sirali, District Harda Published as Follows:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 14, Atal Bihari Vajpayee Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 11, Subhash Chandra Bose Ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 01, Shri Ram Ward (2) Ward No. 12, Hanuman Ward (3) Ward No. 09, Maa Saraswati Ward (4) Ward No. 08, Swami Vivekananda Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 12, Hanuman Ward (2) Ward No. 09, Maa Saraswati Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	05	(1) Ward No. 06, Sainath Ward (2) Ward No. 15, Maharana Pratap Ward (3) Ward No. 03, Indra Gandhi Ward (4) Ward No. 10, Dr. Ambedkar Ward (5) Ward No. 05, Dr. Abdul Kalam Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.